भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-03/2015-16

रामगोपाल शर्मा **बनाम** नित्यानंद प्रधान

आदेश

08-06-18

यह अभिलेख रामगोपाल शर्मा पिता स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी-सदर बाजार चाईबासा, थाना-सदर चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के अपील आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजनगर के द्वारा नामांतरण वाद सं0-455/2006-07 में पारित आदेश के विरुद्ध खोला गया है। मामला दायर करने में विलम्ब होने के कारण लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अलग से आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख का मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष को सुना एवं अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्त्ता का भूमि मौजा- तेलई के अन्तर्गत थाना नं0-408, हल्का नं0-2, खाता नं0-37, प्लॉट नं0-747 रकवा 0.21 एकड़ एवं प्लॉट नं0-749, रकवा-0.38 कुल- रकवा-0.59 एकड़ जमीन है, जिसे नित्यानंद प्रधान पिता स्व0 कविराज प्रधान निवासी-ग्राम-पोटका, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को फर्जी दलील बनाकर श्री गोपाल शर्मा पिता स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी-ग्राम-चाईबासा, थाना-चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा बेचा गया है, जो गलत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा बताया गया कि मेरा पूरा नाम रामगोपाल शर्मा है जबकि विक्रेता गोपाल शर्मा है। जिस तिथि को दलील संधारित किया गया, उस तिथि को मेरे पिता जीवित थे। जबकि दलील में उन्हें मृत घोषित किया गया है। जिसके समर्थन में पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है। स्व0 मांगीलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 28.04.2007 को हुई।

प्रतिवादी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में कभी भी अपनी उपस्थिति अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं दर्ज नहीं करायी और न ही अपने समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

संबंधित राजस्व कर्मचारी से पंजी-II की सत्यापित प्रति की मांग की गयी थी, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त संबंधित भूमि श्री राम गोपाल शर्मा पिता स्व0 मांगीलाल शर्मा के नाम पर पंजी-II कायम है।

तनद्नुसार अभिलेख में संलग्न इस दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, राजनगर द्वारा नामांतरण वाद सं0-455/2006-07 में जो आदेश पारित किया गया है उसमें चूँक हुई है। जहाँ तक दलील संधारित का मामला है प्रतिवादी चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः अपीलार्थी के आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, राजनगर के द्वारा नामांतरण वाद सं0-455/2006-07 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

08/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

08/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner